

प्रतिवेदन

कार्य का नाम -राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद पिथौरागढ़ में किल्ल से बर्तियाकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण

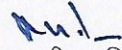
उक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश संख्या 7234/।।।(2)/11-117/2011दिनोंक 22 दिसम्बर 2011 के द्वारा 4.00 कि०मी० हेतु रू० 50.40 लाख की प्राप्त हुई है । मार्ग की चौड़ाई 9.00मी में राज्य भूमि 3.6 हे० आती है ।जिसके अर्न्तगत मलुवा निस्तारण का क्षेत्र भी सम्मिलित है ।इसके अतिरिक्त कोई भूमि प्रभावित नहीं होती है ।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण किल्ल बडालू वर्तियाकोट महर वर्तियाकोट नायक की 1340 जनसंख्या लाभवान्वित होगी । मार्ग के निर्माण हेतु दो समरेखनों में विचार किया गया है ।वैकल्पिक समरेखन उपयुक्त न होने के कारण प्रस्तावित समरेखन में प्रभावित होने वाली 3.6 हे० वन भूमि न्यूनतम है । जो उपयुक्त समरेखन है ।

अतः प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति के उपरान्त ही मार्ग का निर्माण किया जाना संभव होगा जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे है ताकि मार्ग का निर्माण कार्य किया जा सके



सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि० पिथौरागढ़



अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि० पिथौरागढ़